

अति. एजेण्डा सं० 7 :- महात्मा गांधी गृ.नि.स.स. की सूर्य विहार योजना मनोहरपुरा के अनुमोदन बाबत।

योजना के अनुमोदन हेतु उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निम्न शर्तों के साथ योजना के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

1. योजना के भूखण्ड सं० 1, 2, 3, 4, 5 की उत्तरी कम्पाउण्डवाल के समानान्तर भूखण्डों के ऊपर से 11 के.वी. विद्युत लाईन जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत लाईन के मध्य बिन्दु से 15 फीट दूरी तक की भूमि काटने के पश्चात् ही भूखण्डों का नियमन किया जावे।
2. भूखण्ड सं० 5, 6, 23, 41 के ऊपर से विद्युत लाइन गुजर रही है। भूखण्डों के ऊपर से विद्युत लाइन हटाने के पश्चात् ही भूखण्डों का नियमन किया जावे। विद्युत लाइन हटवाने का उत्तरदायित्व भूखण्डधारकों का होगा।
3. भूखण्ड सं० 6, 8, 9 में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है जिन्हें अस्वीकृत किया जावे।
4. योजना के भूखण्ड सं० 1 से 14 व 70 के उत्तर में एयरपोर्ट डवलपमेन्ट प्लान की 60 फीट चौड़ी सेक्टर रोड प्रस्तावित है। मौके पर 40 फीट चौड़ी रोड उपलब्ध है। अतः रोड के दोनों ओर के भूखण्डों में से समान रूप से भूमि लेकर रोड को 60 फीट चौड़ा रखा जाये।
5. भूखण्ड सं० 1, 27, 39 के पश्चिम में उपलब्ध रोड की चौड़ाई को 40 फीट चौड़ी रखा जावे।
6. भूखण्ड सं० 30 ए व 37 व 15 को फेसेलिटी में रखा जावे। इसमें से भूखण्ड सं० 30 ए व 37 शैक्षणिक प्रयोजन व भूखण्ड सं० 15 सामाजिक कार्यों हेतु रखा जावे।
7. योजना में पार्क के पश्चिम की ओर रोड को 30 फीट चौड़ी व शेष सभी आन्तरिक सडको की चौड़ाई 40 फीट रखी जाये।
8. काश्तकार की भूमि 3040 वर्ग गज कृषि भूमि, जिसे विकास समिति द्वारा प्रस्तुत योजना में सम्मिलित कर दिखा गया था, को अस्वीकृत किया जावे।

अति. एजेण्डा सं० 8 :- हथरोई गटी गृह निर्माण सहकारी समिति की अशोक नगर योजना के नियमन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् योजना का नियमन निम्नानुसार करने का निर्णय लिया गया कि:-

1. योजना के भाग का भू-उपयोग परिवर्तन पब्लिक यूटीलिटी से आवासीय किया जावे। अतः 25(3) के अन्तर्गत सात दिन की अधिसूचना जारी किया जावे। एवं कोई आपत्ति नहीं आने पर नियमन किया जावे। सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत लिस्ट के अनुसार 170 भूखण्ड हैं। अतः इनमें नियमन योग्य भूखण्डों का ही नियमन किया जावे।
2. एच.टी. लाईन व सेक्टर रोड से प्रभावित भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावे।
3. योजना में 60 फीट सेक्टर रोड में निर्माण होने के कारण इसकी चौड़ाई 60 फीट से घटाकर 40 फीट की जाये।
4. योजना की 30 फीट सडक को 40 फीट किया जावे।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 97वीं बैठक दिनांक 10-8-2006 को मध्याह्न पश्चात् 2.30 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 2 से 12 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 8 व 9 वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.), एजेण्डा संख्या 13 से 16 तक वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), अति एजेण्डा सं 0 1 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), अति. एजेण्डा सं 0 2 व 3 उपायुक्त जोन-12, अति. एजेण्डा सं 0 4 व 5 सहायक नगर नियोजक, जोन-9 एवं अति. एजेण्डा सं 0 6 व 7 उप नगर नियोजक, जोन-7 द्वारा किया गया है जिसका संकलित कार्यवाही विवरण:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री मोहन लाल गुप्ता, माननीय विधायक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. श्री नवरतन राजौरिया, माननीय विधायक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. श्री जी.एल. गुप्ता, सचिव, जयपुर।
4. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जयपुर।
5. श्री रामनिरास मीणा, अति.आयुक्त भूमि(पश्चिम) जयपुर।
6. श्री ज्ञानाराम जाट, अति. आयुक्त भूमि(पूर्व) जयपुर।
7. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी. अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.) जयपुर।
2. श्री भीरज तिवाडी, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट) जयपुर।
3. श्री अरूण शर्मा, उपायुक्त जोन-1, जयपुर।
4. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, उपायुक्त जोन-2, जयपुर।
5. श्री महेंद्र पारख, उपायुक्त जोन-4, जयपुर।
6. श्री देवाराम सेनी, उपायुक्त जोन-6, जयपुर।
7. श्री गिरीराज अग्रवाल, जोन-7, जयपुर।
8. श्री भगवान सहाय शर्मा, उपायुक्त जोन-9, जयपुर।
9. श्री लेखराज तोषावाडा, उपायुक्त जोन-11, जयपुर।
10. श्री इन्द्र सिंह सोलंकी, उपायुक्त, जोन-12, जयपुर।
11. श्रीमति आशा अदरथी, उप नगर नियोजक(एम.पी.) जयपुर।
12. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(बीपीसी-स्कीम) जयपुर।
13. श्री अनन्त देव टांक, उप नगर नियोजक जोन-1, जयपुर।
14. श्री हीरालाल वर्मा, उप नगर नियोजक, जोन-4, जयपुर।
15. श्री शोशाराम, उप नगर नियोजक, जोन-7, जयपुर।
16. श्री भरत माली, सहायक नगर नियोजक, जोन-9, जयपुर।
17. श्री हरिप्रसाद शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-11, जयपुर।
18. श्री मोहन लाल शर्मा, सहायक नगर नियोजक जोन-12, जयपुर।



एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा सं0 1 :- सीपीसी (ले आउट प्लान) की 96 वी वटक दिनांक 12.5.2006 को सम्पन्न हुई क कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा सं0 2 :- जेम्स बगीची विकास समिति की योजना जेम्स बगीची, विद्याधर नगर, योजना क्षेत्र के नियमन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि:-

1. भूखण्ड संख्या 1 एबी-1 से 1 एबी-5 व 1सी, 1-सीए एवं भूखण्ड संख्या 10 की भूमि जविप्रा के हक में ही रहेगी, इन भूखण्डों को छोडकर शेष रहे भूखण्डों का नियमन किया जाये।
2. योजना की आंतरिक सडकों को 30 फीट एवं जहां सडक Cul-De-Sec रूप में हो वहां कम से कम 20 फीट चौडी रखी जावे।
3. योजना में केवल आवासीय भूखण्डों का ही नियमन किया जावे।
4. योजना में 70 प्रतिशत भूखण्ड बने हुए होने के कारण एवं योजना की भूमि सरकारी होने के कारण योजना को राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु भिजवाया जावे।

एजेण्डा सं0 3 :- मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम नं0 2 (विवेकानन्द कॉलोनी) विद्याधर नगर योजना क्षेत्र के नियमन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निम्न बिन्दुओं के साथ योजना नियमन का निर्णय लिया गया।

1. योजना की आन्तरिक सडकों को कम से कम 30 फीट रखा जावे।
2. योजना की आन्तरिक सडकों पर अमानीशाह के नाले की चौडाई निर्देशक अतियात्रिकी से अंकित करवाने के पश्चात ही दक्षिणी पूर्वी स्थित ब्लॉक (जिनमें भूखण्ड संख्या ए-1 से ए-7, ए-9 से ए-13, ए-20 से ए-24, 26 से 31, ए-8ए से ए8-ए, ए-8बी, 7ई, ए/7, ए/8, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ए/45, 7डी, 7सी-1, 7सी स्थित है) का नियमन किया जाये।
3. विद्याधर नगर से अम्बावाडी जाने वाली 55 मीटर सडक की चौडाई से प्रभावित भूखण्डों का नियमन नहीं किया जाये।
4. योजना में 36 फीट चौडी सडक के कारण जिन स्थान एच. टी. लाईन से सुरक्षित दूरी जाडत हुए भूखण्डों का नियमन किया जाये।
5. योजना में केवल आवासीय भूखण्ड का ही नियमन किया जाये।
6. योजना में 70 प्रतिशत भूखण्ड बने हुए होने के कारण एवं योजना की भूमि सरकारी होने के कारण योजना को राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु भिजवाया जावे।

एजेण्डा सं0 4 :- श्री जनता गृहिन ग. स. की योजना विजयवाडी, चोमू रोड के नियमन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात योजना के नियमन का निर्णय निम्नानुसार लिया गया:-

14

1. भूखण्ड संख्या 13-ए, 13-बी, 13-सी, 14-ए, 14-बी, व 14-सी निजी खातेदारी की भूमि होने के कारण इसे योजना का भाग नहीं माना जाये व इनका नियमन नहीं किया जावे।
2. योजना की आन्तरिक सड़कों को कम से कम 30 फीट किया जावे।
3. योजना में केवल आवासीय भूखण्डों का ही नियमन किया जाये।
4. सीकर रोड का मार्गाधिकार 160 फीट रखा जावे।

एजेण्डा सं० 5 :- भैरव गृ.नि.स.स. की योजना महादेव नगर के नियमन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि:-

1. उपायुक्त ज्ञान द्वारा मानचित्र सदस्यों को मौका निरीक्षण करवाया जावे।
2. सहकारी समिति/विकास समिति को, योजना में सुविधा क्षेत्र सेक्टर रोड रखकर सभी भूखण्डों में से समान रूप से भूमि लेकर मानचित्र संशोधित किये जाने हेतु कहा जावे ताकि मानचित्र संशोधन से सभी भूखण्डधारियों को एक समान भूखण्ड मिल सके।

एजेण्डा सं० 6 :- गणपति गृ.नि.स.स. की योजना बालाजी विहार-25 के नियमन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि योजना में निर्मित प्रतिशत केवल 10.56 प्रतिशत व सुविधा क्षेत्र का अभाव होने के कारण प्रकरण को सम्पूर्ण तथ्यों सहित राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु भिजवाये जावे।

एजेण्डा सं० 7 :- गणपति गृ.नि.स.स. की योजना गणेश नगर-1 के नियमन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि योजना में निर्मित प्रतिशत केवल 10.56 प्रतिशत व सुविधा क्षेत्र का अभाव होने के कारण प्रकरण को सम्पूर्ण तथ्यों सहित राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु भिजवाये जावे।

एजेण्डा सं० 8 :- श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. की योजना भवानी शंकर कालोनी के नियमन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि योजना में सेक्टर रोड व नियमानुसार सुविधा क्षेत्र रखते हुए मानचित्र संशोधन किये जाने हेतु गृह निर्माण सहकारी समिति को सूचित किया जावे।

एजेण्डा सं० 9 :- सुभाष सिंधी गृ.नि.स.स. की योजना ग्रीन पार्क 'ए' योजना के नियमन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रकरण को स्थगित रखते हुए योजना का निर्मल विहार से भूखण्ड संख्या 28-ए, के उत्तर में लिंकेज हेतु एवं नियमानुसार सुविधा क्षेत्र रखते हुए मानचित्र संशोधन करने हेतु गृह निर्माण सहकारी समिति को सूचित किया जावे।

एजेण्डा सं० 10 :- शंकर भवन गृ.नि.स.स. की योजना विकास नगर-सी के नियमन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात योजना के नियमन/अनुमोदन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

///

1. एच.टी. लाईन से प्रभावित भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावे।
2. योजना में केवल आवासीय भूखण्डों का नियमन किया जावे।
3. स्कूल व मंदिर के भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र में रखा जावे।
4. भूखण्ड संख्या 49 से 52 व 80 में न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण इनका नियमन नहीं किया जावे।
5. योजना की आन्तरिक सड़कों को कम से कम 30 फीट किया जावे।

एजेण्डा सं० 11 :- ऑफिसर्स कैम्पस योजना में करणी पार्क के लिए एण्ड यूज बाबत

बैठक में केवल नियमन संबंधी प्रकरणों पर ही विचार विमर्श के कारण उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श नहीं किया गया।

एजेण्डा सं० 12 :- भूखण्ड सं० ए-7 व ए-16 मेटल कालोनी (जयपुर मेटल गृ.नि.स.स.)

बैठक में केवल नियमन संबंधी प्रकरणों पर ही विचार विमर्श के कारण उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श नहीं किया गया।

एजेण्डा सं० 13 :- लाला लाजपतराय गृ.नि.स.स. की योजना बजरंग विहार विस्तार

लाला लाजपत राय गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बजरंग विहार विस्तार के अनुमोदन के संबंध में विचार-विमर्श कर सार्वजनिक तौर पर यह निर्णय लिया गया कि योजना न स्थित 722.03 वर्ग मीटर की भूमि का ज.वि.प्रा. द्वारा कब्जा लिया जाकर उस पर कम्पाउन्डवाले का निर्माण किया जावे। योजना की सभी आन्तरिक सड़कों को 30' का रखा जावे। उक्त निर्णय के साथ योजना अनुमोदित की गई।

एजेण्डा सं० 14 :- लाला लाजपतराय गृ.नि.स.स. की योजना बजरंग विहार

लाला लाजपत राय गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बजरंग विहार के अनुमोदन के संबंध में विचार-विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि भू.सं.1 में संश्लेषक अंकित करने पर पर्याप्त डिस्ट अफ एरिवा नहीं मिलता है अतः उसे अस्वीकृत किया जावे तथा उसे सुविधा क्षेत्र में आरक्षित किया जावे। भू.सं. 25, 38, 39 (कुल तीन भूखण्ड)सेक्टर रोड से प्रभावित होने के कारण उन्हें अस्वीकृत किया जावे। भू.सं. 43, 44 के बीच सृजित विना न. के भूखण्ड जिसे समिति द्वारा प्रस्तुत मानाचित्र में आर लैण्ड अंकित किया हुआ है तथा कोई न. अंकित नहीं है अतः उसे सुविधा क्षेत्र में करने का निर्णय लिया गया। भू.सं. 37 व 60 फीट सेक्टर रोड के बीच में उपलब्ध/ बची हुई 73.50 वर्ग मी. भूमि को सुविधा क्षेत्र में रखने का निर्णय लिया गया। शेष योजना की सभी आन्तरिक सड़कों को 30 फीट रखा जावे। शेष योजना का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा सं० 15 :- हथरोई गढी गृ.नि.स.स. की योजना हरी विहार साउथ

हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना हरी विहार साउथ के अनुमोदन के संबंध में विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि मास्टर विकास योजना 2011 की 200' सड़क व प्लान्टेशन कोरीडोर में आने वाली समस्त 16 दुकानें व भू.सं. 15, 16, 1 व 2 को अस्वीकृत किया जावे। एवं भू.सं. 3 का प्लान्टेशन कोरीडोर में आने वाले भाग के पश्चात् शेष भाग का अनुमोदन किया जावे। भू.सं. 15 का प्लान्टेशन कोरीडोर के पश्चात् शेष बचे भाग में नियमानुसार निर्माण योग्य क्षेत्रफल नहीं मिलने पर उसे सुविधा क्षेत्र में रखा जावे। शेष योजना का अनुमोदन किया गया।

अति. एजेण्डा सं० 9 :- भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना दुर्गा विहार-ए के नियमन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन द्वारा माननीय सदस्यों जनप्रतिनिधियों को मौका निरीक्षण करवाया जाकर प्रकरण को पुनः बीपीसी --।। के समक्ष रखा जायें।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

W  
22/8/06  
सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2006/डी-122

दिनांक :- 22-8-06

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय विधायक श्री मोहन लाल गुप्ता
3. माननीय विधायक श्री नवरतन राजोरिया
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति० आयुक्त भूमि (पूर्व)/(पश्चिम)/(प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट/एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन ..... जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

W  
22/8/06  
सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

एजेण्डा सं० 16 :- लाला लाजपतराय गृ.नि.स.स. की योजना बजरंग विहार-ए

लाला लाजपत राय गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बजरंग विहार ए के अनुमोदन के संबंध में विचार-विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि भू.सं.1, 200 फीट गोनैर रोड से प्रभावित होने के कारण अस्वीकृत किया जावे। दुकान सं 1 से 15 को 60' सेक्टर रोड से प्रभावित होने के कारण अस्वीकृत किया जावे। भू.सं. 2 पूर्ण रूप से प्लॉटेशन कोरीडोर में होने के कारण अस्वीकृत किया जावे। भू.सं. 3 व 4 को आंशिक रूप प्लॉटेशन कोरीडोर में प्रभावित होने के कारण प्लॉटेशन कोरीडोर से शेष बच भाग को अनुमोदित किया जावे। भू.सं.8 आंशिक रूप से 60' सेक्टर रोड तथा प्लॉटेशन कोरीडोर से प्रभावित क्षेत्र को छोड़ने के पश्चात् शेष भाग का अनुमोदन किया जावे। शेष योजना का अनुमोदन किया जावे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अति. एजेण्डाओं पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिये गये :-

अति. एजेण्डा सं० 1 :- श्रवण विहार, इन्द्रा विकास गृ. नि. स. स. की आवासीय योजना ग्राम वाटिका के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

1. वाटिका रोड पर प्रस्तावित दुकानों को अस्वीकृत किया जावे।
2. योजना की साइड में गांव में जाने हेतु रास्ता है इसकी चौड़ाई 60'-0" की जावे एवं इस रास्ते की चौड़ाई बढ़ाने हेतु रास्ते के केंद्र बिन्दु से दोनों साइडों में 30'-30' भूमि ली जावे।
3. रास्ते को 60'-0" सड़क किये जाने से भूखण्ड संख्या 13 व 25 में सेटबैक छोड़ने के पश्चात् आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है इसलिये इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।
4. योजना में भूखण्ड संख्या 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 26, 27, 28 11 के. वी. की एल. टी. लाईन में प्रभावित है इसलिये इन भूखण्डों का नियमन लाइन हटने के पश्चात् ही किया जावे।
5. मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र है इसलिये ग्रामीण से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन किया जावे।
6. योजना में कुल 38 भूखण्ड हैं जिसमें से 12 भूखण्ड निर्मित है। जो 10% से अधिक है इसलिये योजना में आवासीय क्षेत्रफल 63.75% स्वीकृत किया जावे।

अति. एजेण्डा सं० 2 :- पटेल गृ. नि. स. समिति की योजना रघुनाथ विहार के सम्बन्ध में।

जौनल लेवल कमेटी (जीन-12) कमेटी की बैठक दिनांक 10-8-2006 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंका के क्रम में समिति के समक्ष सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर योजना को निम्नांकित संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया :-

पटेल गृ. नि. स. समिति की योजना रघुनाथ विहार के अनुमोदन पर समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-

1. योजना में सिरसी रोड से अजमेर की मिलाने वाली सड़क को 60 फिट किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. योजना में गुजः रही 11 को पी. एच. टी. लाईन से प्रभावित भूखण्ड संख्या 21, 22 व 15 को सुरक्षा दूरी मध्य से 15 फिट छाड़कर स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
3. योजना की आन्तरिक सड़कों को कम से कम 30 फिट चौड़ाई करने का निर्णय लिया गया।
4. योजना में स्थित भूखण्ड संख्या 23, 30, 31, 40, 42, 43 का आंशिक भाग जो राजकीय भूमि (1200 वर्गगज) पर स्थित है, राजकीय भूमि की शर्तों की योजना के समस्त भूखण्डों में समायाजित करके हुये नियमन शर्तों निवारित कर उक्त भूखण्डों को अनुमोदित किया गया।
5. योजना में स्थित दुकानों को सड़कों की चौड़ाई व पार्किंग से प्रभावित होने के कारण अस्वीकृत किया गया।
6. भूखण्ड संख्या 22 व दुकान संख्या 32, 33, 34, 35, 36, 37 पर मानव शक्ति विकेंद्रित होने के कारण उक्त भूखण्ड व दुकानों को अस्वीकृत किया गया।
7. योजना में दर्शित पार्क से अतिक्रमण होता हुये पार्क पर चार दीवारी बनाने का निर्णय लिया गया।

अति. एजेण्डा सं० 3 :- श्री महावीर स्वामी गृ. वि. स. समिति की योजना अमन विहार, ग्राम सिरसी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

जोनल लेवल कमेटी (जोन-12) बैठक दिनांक 10-8-2006 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अनिश्चया के कम में समिति को समक्ष सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर योजना को निम्नांकित संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया:-

1. योजना में निर्धारित मापदण्ड 60:40 पर होने के कारण अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।
2. योजना में सेक्टर रोड 60 फिट व 40 फिट गुजरने के कारण सुविधा क्षेत्र नहीं दर्शया गया को अनुमोदित किया गया।

अति. एजेण्डा सं० 4 :- सूरजपोल गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना अशोक विहार के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

सूरजपोल गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना अशोक विहार के अनुमोदन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श परचात यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित योजना मानचित्र का अनुमोदन किया जाये।

अति. एजेण्डा सं० 5 :- अनुमोदन की गई एवं अनुमोदन प्रक्रिया में विचाराधीन गृह निर्माण सहकारी समिति के जोन द्वारा प्रस्तावित निम्न योजनाओं में ज.वि.प्रा. अधिनियम 1982 की धारा 25(2) के तहत भू-उपयोग उपान्तरण।

अनुमोदन की गई एवं अनुमोदन प्रक्रिया में विचाराधीन गृह निर्माण सहकारी समिति के जोन द्वारा प्रस्तावित निम्न योजनाओं में ज.वि.प्रा. अधिनियम 1982 की धारा 25(2) के तहत भू-उपयोग उपान्तरण 'खुला स्थान' से आवासीय करने का निर्णय लिया गया।

क्रम सं.	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम
1.	बन्धु	रेणु विहार	बुद्धसिंहपुरा
2.	विकास भवन	रविन्द्र नगर व रविन्द्र नगर ए	टीलावाला
3.	विकास भवन	रविन्द्र नगर बी	टीलावाला
4.	शिव शंकर	हरि ओम विहार	टीलावाला

5.	तोपखाना देश	बुद्ध विहार	बुद्धसिंहपुरा
6.	दी कृष्णा	मानसागर विस्तार	बुद्धसिंहपुरा
7.	मित्र	इन्द्रप्रस्थ कालोनी	बुद्धसिंहपुरा
8.	विकास भवन	गणेश नगर	टीलावाला

अति. एजेण्डा सं० 6 :- आनन्द भवन गृ.नि.स.स. की योजना लायन्स कालोनी टॉक रोड की स्वीकृति हेतु।

योजना के अनुमोदन हेतु उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निम्न शर्तों के साथ योजना को अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

1. योजना की भूमि का भू उपयोग नरसरी ओवरड्राई से आवासीय करने का निर्णय लिया गया।
2. योजना के भूखण्ड सं० 13 व 20 के मध्य मौक पर रोड 15 फीट चौड़ी उपलब्ध है। भूखण्ड सं० 13 की लाइन के भूखण्डों की सिमिट्री के अनुरूप भूखण्ड सं० 13 में से 12.6 फीट चौड़ी भू पट्टी तथा शेष भूमि भूखण्ड सं० 20 में से काटी जाकर रोड की 30 फीट चौड़ी की जावे।
3. योजना के भूखण्ड सं० 27 का उत्तर पश्चिमी भाग योजना का अक्षर सीमा के अन्दर तक बढ़ाया हुआ है। भूखण्ड की योजना की सीमा रेखा तक स्वीकृत किया जावे।
4. भूखण्ड सं० 13, 14, 15, 16, 17, 18 के पश्चिम में भूखण्डों की कम्पाउण्डवाल के समानान्तर 11 के.वी. की विद्युत लाइन जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत लाइन की 15 फीट दूरी तक की भूमि को भूखण्डों में से काट कर भूखण्डों का स्वीकृत किया जावे।
5. भूखण्ड सं० 18 के दक्षिण में व माथुर वेश्य नगर के भूखण्डों के मध्य स्थित रोड को मिलाये जाने हेतु भूखण्ड सं० 14 में से भूमि काटी जाकर ही भूखण्ड का नियमन किया जावे।
6. प्रिन्टर्स नगर प्रथम व लायन्स कालोनी के भूखण्ड सं० 4, 11, 19 व 19 ए के मध्य रोड की चौड़ाई 40 फीट रखी जावे।
7. भूखण्ड सं० 21, 22, 23, 24 के पिछे रोड की चौड़ाई प्रिन्टर्स नगर योजना में 40 फीट चौड़ी स्वीकृत है। अतः रोड के दोनों ओर के भूखण्डों में से समान रूप से भूमि लेकर रोड की चौड़ाई 40 फीट ही रखी जावे।
8. भूखण्ड सं० 1, 2, 3, 4 मुख्य टॉक रोड पर स्थित है इस स्थल पर टॉक रोड की चौड़ाई मास्टर प्लान में 160 फीट दर्शाई गई है। रोड के मध्य बिन्दु से 80 फीट दूरी तक की भूमि रोड विस्तार हेतु भूखण्डों से काटकर भूखण्डों का नियमन किया जावे।
9. योजना की आन्तरिक सडकों की चौड़ाई 30 फीट रखी जावे।
10. योजना के भूखण्ड सं० 1 के उत्तर में स्थित काश्तकार की भूमि को गैर कृषि उपयोग में लिया जा रहा है (आवासीय) जो इस योजना के भूखण्डों से लगती हुई है को भी सम्मिलित करते हुए योजना मानचित्र का अनुमोदन किया जावे। प्राधिकृत अधिकारी इस भूमि की 90 वी कार्यवाही सुमोटो अलग से करेंगे।